

## कार्यालय: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुलतानपुर।

पत्रांक: बेसिक / मान्यता/

878-४२/2014-15

दिनांक 30/5/2014

प्रबन्धक,

सुलतानपुर सिटी मान्टेसरी स्कूल,  
सेनानी विहार कालोनी, गोरखपाटा, सुलतानपुर।

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क  
और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय  
के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।  
महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 31.10.2012 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्यर्ती पत्राचार/निरीक्षण  
के प्रतिनिर्देश से, मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुलतानपुर आपके विद्यालय को दिनांक 28.05.2014 से दिनांक  
27.05.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये नर्सरी से कक्षा 08 (अग्रेजी माध्यम) तक के लिये अनंतिम मान्यता  
प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैं—

- 1— मान्यता की मंजूरी विस्तारीकरण नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/संबंधन  
करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2— विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांच्छ-1) और निःशुल्क और  
अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 (उपांच्छ-2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3— विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक  
आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा, और उन्हें  
निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4— पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के  
अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता  
रखेगा।
- 5— सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता  
या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6— विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सवूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और  
वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा—
  - (i) प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल  
नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
  - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की  
जायेगी।
  - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 26 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक  
प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।
  - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया  
जाना।
  - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की  
जाती है। परन्तु यह और कि विद्यामान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं  
नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
  - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
  - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया-कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7— विद्यालय समृच्छित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चयों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

Syed Ali  
**MANAGER**

Sultanpur City Montessori School  
Senani Bihar Colony-Sultanpur

Matiun  
**PRINCIPAL**

Sultanpur City Montessori School  
Senani Bihar Colony-Sultanpur

- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार हैं-
- |   |            |
|---|------------|
| विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-                                    | 40000 लौंग |
| कुल निर्मित क्षेत्रफल-  | 21900 लौंग |
| कीड़ास्थल का क्षेत्रफल-   | 10100 लौंग |
| कक्षाओं की संख्या-  | ३८         |
| प्राध्यापक- सह-कार्यालय-सह-भंडागार के लिये कक्ष-                | ५          |
| बालक और बालिकाओं के पृथक शौचालय-                                | ५          |
| पेयजल सुविधा-   | ५          |
| मिड-डे-मील पकाने के लिये रसोई-                                  | ५          |
| बाधारहित पहुंच-   | ५          |
| अध्यापक पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपरकरों/पुस्तकालय की उपलब्धता- | ५          |
- 9- विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेगी।
- 10- विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1980(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्पर्य प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- रकूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगत या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्ट एकार्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक- ०१/२०५ है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
- 17- संलग्न उपांग के अनुसार अन्य कोई शर्त।

मददीय,

(सन्तोष कुमार मिश्र)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
सुलतानपुर।

पूर्ण पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।  
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ०प्र० इलाहाबाद/लखनऊ।
2. सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
3. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, सुलतानपुर।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, सुलतानपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
सुलतानपुर।

*Syed Fazal Ali*  
**MANAGER**  
Sultanpur City Montessori School  
Senani Bihar Colony-Sultanpur

*M. Fathima*  
**PRINCIPAL**  
Sultanpur City Montessori School  
Senani Bihar Colony-Sultanpur